राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भागचन्द बनाम जवानाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/2025	146/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 ने दस्तावेजात की सूचि के साथ अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ मय मूल वाद संख्या 180/2024 आदेश दिनांक 21/08/2025 की फोटो प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 21/08/2025 को आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत अन्तिम निस्तारण हो चूका है ऐसे में यह अपील अब सारहीन हो गयी है एवं यह अपील चलने योग्य नही रह गयी है। अत: अपील अपीलान्ट सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमाई जावे। हमने प्रार्थी/रेस्पो. संख्या 1 के कथनों के परिपेक्ष में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ एवं मूल वाद में पारित आदेश दिनांक 21/08/2025 का अवलोकन किया गया। जिससे रेस्पो. की कथनों की पुष्टि होती है कि इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो गया है जिससे यह अपील अब स्पष्ट रूप से सारहीन हो गयी है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	